भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

**लोक सभा**
अतारांकित प्रश्न संख्या **755**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवंबर, 2024/8 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

**बंद पड़ी उर्वरक इकाइयों की परिसंपत्ति**

**755. श्री ईश्वरस्वामी के.:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंद पड़ी उर्वरक इकाइयों के संयंत्र और मशीनरी, उपयोगिताओं और सेवाओं, भूमि और भवनों और अन्य परिसंपत्तियों की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या किसी सक्षम एजेंसी द्वारा उपरोक्त परिसंपत्तियों के बंद होने से पहले उनका कोई मूल्यांकन किया गया था;
(ग) यदि हां, तो इकाई-वार परिसंपत्ति मूल्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

---

**(क):** फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) को सितम्बर, 2002 में बंद कर दिया गया है। भारत सरकार ने फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआईएल) की रामागुंडम (तेलंगाना), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), सिंदरी (झारखंड) और तालचेर (ओडिशा) की इकाइयों और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की बरौनी (बिहार) इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए नामित पीएसयू की संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) के माध्यम से प्रत्येक को 12.7 एलएमटी प्रति वर्ष क्षमता के नए अमोनिया-यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए अधिदेशित किया है। रामागुंडम, गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी इकाइयों ने क्रमशः 22.03.2021, 07.12.2021, 18.10.2022 और 05.11.2022 को यूरिया उत्पादन शुरू कर दिया है। इन चार संयंत्रों ने देश में घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता में प्रति वर्ष 50.8 एलएमटी की वृद्धि की है।

**(ख) और (ग):** उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल) ने एचएफसीएल और एफसीआईएल की बंद इकाइयों की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

*****

**(रुपए करोड़ में)**

| | **हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल)** | | | **फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल)** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **विवरण/इकाई** | **दुर्गापुर** | **बरौनी** | **हल्दिया** | **सिंदरी** | **गोरखपुर** | **रामागुंडम** | **तालचेर** | **कोरबा** |
| 1. भूमि और भवन | 21.86 | 3104.26 | 36.01 | 7742.89 | 3023.38 | 278.23 | 143.20 | 457.27 |
| 2. वृक्षारोपण | 3.91 | 8.03 | 2.12 | 18.61 | 24.69 | 5.64 | 3.16 | 25.62 |
| 3. उपयोगी वस्तुएं | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 54.41 | 16.18 | 32.86 | 42.24 | 11.42 |
| 4. अनुपयोगी वस्तुएं | 28.24 | 40.48 | 43.15 | 179.73 | 58.88 | 94.63 | 90.23 | 12.16 |
| **कुल** | **54.04** | **3152.88** | **81.39** | **7995.64** | **3123.13** | **411.36** | **278.83** | **506.47** |

**(घ):** (ख) और (ग) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

*******